

अधिकारी

पालय उपखण्ड

कदूमर (अलवर) राज.

2/10/2020

तारीख रजु

मूलसन्द

बनाम सुकान-कौरा


ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	------------------------------------	---

25.09.2020

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 19, 20, 21, 63, 65, 66, 212, 214, 220, 367, 369, 376, 23 वाके ग्राम सलेमपुर तहसील कदूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश वाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 12.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 कदूमर (अलवर)
 कदूमर (अलवर)

कराकत 25/09/20
 25/09/2020
 वादवादी दिनांक 16.11.20
 को पेश हो।

12.11.20

16.3.21

वकील पत्र (अप्रार्थी) का जवाब पत्रावली में
 ने Note Periss करा कि माँ है केस। यह अपकी 50
 पत्रावली में की Note Periss का कि माँ 95
 अपकी 2 को कोट पलाना की पत्रावली है अरु 500
 पत्र 212 पर वकील पत्रावली Note Periss को
 वकील कि माँ जासा है पत्रावली में नल सुगाए है डर
 जाकर से कदमे राह नकली कापिल प्रकवाड के माय
 संलग्न है। सुनाम।

NOT DRESS


- प्रि
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8